न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या– /2021

CNR No. UPBB180002912021

विजय कुमारी बनाम चमेली आदि

17.11.2021

प्रार्थना–पत्र ग–6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग–7 पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वसीयतनामा मंसूखी हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र ग–6 में यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी गाटा संख्या 191 रकबा 0.0440 हे०, 192 रकबा 0.0250 हे०, 193 रकबा 2.3470 हे०, 194 रकबा 0.0310 हे०, 195 रकबा 0.0220 हे०, 196 रकबा 0.0090 हे०, 259 रकबा 0.4920 हे०, 320 रकबा 0.2530 हे०, 371 रकबा 0.3350 हे०, 374 रकबा 0.6080 हे०, 375 रकबा 0.0210 हे०, 376 रकबा 0.0230 हे०, 398 रकबा 0.594 हे०, 401 रकबा 0.2640 हे०, 456 रकबा 0.6880 हे०, 1268 रकबा 0.1960 हे०, 200/1800 रकबा 0.1070 हे०, 399 रकबा 0.170 हे०, 273 रकबा 2.8660 हे० व गाटा संख्या 253 रकबा 0.0690 हे० स्थित ग्राम शाहपुर परगना सूर्यपुर तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी एवं एक किता मकान स्थित ग्राम कोयलहापुरवा मजरे शाहपुर मुरारपुर परगना सूर्यपुर तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी जिसकी चौहद्दी ग–6 में वर्णित है, में वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल व प्रयोग में विपक्षीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे और ऐसा करने से दौरान मुकदमा बाज रहे। वादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वसीयतनामा की सत्यप्रतिलिपि ग–9 व उद्धरण खतौनी ग–10 दाखिल किए गए हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णित जिन गाटा संख्याओं के बावत अनुतोष चाहा गया है, वे पंजीकृत वसीयतनामा, जिसके निरस्तीकरण हेतु वाद संस्थित किया गया है, में संलिप्त हैं। साथ ही वादी द्वारा दाखिल खतौनी पर वादिनी के पिता के अतिरिक्त अन्य खातेदार भी अंकित हैं। अतः वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थतियों में बिना प्रतिवादीगण को सुने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी वांछित पैरवी अन्दर तीन दिन करे। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 दिनांक 17.12.2021 को पेश हो।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

17.11.2021

प्रार्थना–पत्र ग–11 पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादिनी पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करे।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।